[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 34/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

सा.का.नि.....**(अ)**--केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :--

(i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे ;

(ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे ;

(iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी ;

(iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, आम पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो आम पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अधीन होगा ;

(v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्यांक के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए आम पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है ;

(vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;

(vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ; और

(viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्वर्ती अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमान्य नहीं रह जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक